संख्या-29/2024/3730/22-2-2023-17(981)/2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मार्च 2024

विषय:- जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमित शर्मा पुत्र श्री रामसनेही शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-09-2023) दिनांक-04-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमित शर्मा पुत्र श्री रामसनेही शर्मा, शिव कालोनी, यमुनापुरम, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज में एक लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 12.08.2004 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट कर अपनी पत्नी पूनम की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-305/2005 में भा0द0वि0 की धारा-304 बी व 3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-17, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 02.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.01.2021 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। दिनांक 30.08.2023 तक बन्दी की आयु 45 वर्ष 08 माह 06 दिन है तथा बन्दी द्वारा 30.08.2023 तक 14 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध कारित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज में एक लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 12.08.2004 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट कर अपनी पत्नी पूनम की हत्या करने का का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध को गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमित शर्मा पुत्र श्री रामसनेही शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमित शर्मा (बन्दी संख्या-609/18) पुत्र श्री रामसनेही शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-29/2024/3730(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित किमिनल मिस रिट संख्या-2967/2024 अमित शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सन्दर्भ में दिनांक 28-03-2024 को नियत सुनवाई में मा0 न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये प्रभावी पैरवी हेतु।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-29/2024/3730/22-2-2023-17(981)/2021

दिनांक 15 मार्च, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमित शर्मा पुत्र श्री रामसनेही शर्मा, शिव कालोनी, यमुनापुरम, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज में एक लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 12.08.2004 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट कर अपनी पत्नी पूनम की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-305/2005 में भा0द0वि0 की धारा-304 बी व 3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-17, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 02.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.01.2021 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। दिनांक 30.08.2023 तक बन्दी की आयु 45 वर्ष 08 माह 06 दिन है तथा बन्दी द्वारा 30.08.2023 तक 14 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध कारित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज में एक लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 12.08.2004 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट कर अपनी पत्नी पूनम की हत्या करने का का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध को गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमित शर्मा पुत्र श्री रामसनेही शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in